

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बनाम : श्री. धारी लक्ष्मी लाल रावतभाटा

किस्म मुकदमा : दादा

no 30/2019

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इयाम जारी हुए
22/10/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पेशकार (सकार न्यायालय में उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादी के पौत होने की सूचना न्यायालय में दी गई तथा कायम मुकाम बनाने हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम वादी दिनांक 26/11/2024 को पेश हो।</p> <p>S.D.O.</p>	<p>नतीजा के माफ आपका हुकम अवसर</p>
26/11/2024	<p>वकील पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादी के कायम मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम वादी दिनांक 17/12/2024 को पेश हो।</p> <p>S.D.O.</p>	
17/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा वादी के कायम मुकाम हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम वादी दिनांक 16/01/2025 को पेश हो।</p> <p>S.D.O.</p>	
16/01/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगताई गई जबलुद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी को और से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से तद पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है।</p> <p>S.D.O.</p>	

Form No. III

App-Z
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

मांगित

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा

केस मुकदमा


वाद

नं०

३०

सन्

२०१९

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>पत्रावली फौजल कुमार दौ दर्ज रजिस्टर से कम को जाफर शामिल दफ्तर ही  उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	